न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 27.08.2024

मुकदमा नं0 53/2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. हंसराम आयु 27 साल पुत्र झमोली, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली (राज.)। –आवेदक

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान् तहसीलदारजी, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली (राज.)
2. केशन्ती बेवा झमोली
3. गंगा पुत्री झमोली
4. जगदीश पुत्र अमरसिंह
5. तिलकसिंह पुत्र झमोली
6. देवेन्द्र पुत्र झमोली
7. रविता पुत्री झमोली
8. श्यामा पुत्र चेंटा
9. सूरजमल पुत्र अमरसिंह
10. उगन्ती पुत्री सरवती बेवा लज्जा
11. ढकेली पुत्री सरवती बेवा लज्जा

समस्त जाति गुर्जर
निवासी ग्राम अलीपुरा
तहसील श्रीमहावीरजी
जिला करौली
राजस्थान।

– प्रतिपक्षीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज. भू राजस्व अधिनियम बावत दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी/आवेदक

निर्णय

दिनांक :– 26.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज. भू राजस्व अधिनियम बावत दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड विरूद्ध प्रतिपक्षीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आवेदक व प्रतिपक्षीगण नं. 2 ता 11 की सहखातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या नया 407 पुराना 401 आराजीयात खसरा नं. 717 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 718 रकबा 0.14 हैक्टेयर, कुल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किता–2 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली में स्थित है कि जिसका आवेदक 1/36 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आवेदक व प्रतिपक्षीगण नं. 2 ता 11 की सहखातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या नया 417 पुराना 280 आराजी खसरा नं. 757/2273 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन चाह ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली में स्थित है कि जिसका आवेदक 1/36 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आवेदक व प्रतिपक्षीगण नं. 2 ता 11 की सहखातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या नया 418 पुराना 281 आराजीयात खसरा नं. 1005 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1018 रकबा 0.36 हैक्टेयर, 660 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 661 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 665 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 719 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 720 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 721 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 746 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 757 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 782 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 852 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 853 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 858 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 859 रकबा 0.38 हैक्टेयर, कुल किता–18 कुल रकबा 4.97 हैक्टेयर ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली में स्थित है कि जिसका आवेदक 1/36 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नं. 1 ता 3 प्रार्थनापत्र की खातेदारी आवेदक के पिता झमोली की मृत्यु पर वारिसान के नाम जरिये नामान्तकरण सं. 1080 दिनांकित 11.01.2021 दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवेदक के नाम में हंसराम पुत्र झमोली के नाम के स्थान पर हंसराज पुत्र झमोली गलत इन्द्राज कर दिया गया है कि जो त्रुटिवश/भूलवश हुआ कि जो काबिल दुरुस्ती है, जबकि आवेदक के समस्त दस्तावेजात पहचानपत्र, आधारकार्ड, जनआधारकार्ड व राशनकार्ड इत्यादि में हंसराम पुत्र झमोली ही लिखा हुआ है। अब प्रार्थी के नाम की भूल को संशोधित करके पहचानपत्र, आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर हंसराम पुत्र झमोली दुरूस्त किया जाना आवश्यकीय व न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि भूमि वर्णित मद नं. 1 ता 3 आवेदनपत्र की खातेदार सरवती पत्नि लज्जा का देहावसान हो गया है, प्रतिपक्षी नं. 1 व 10, 11 मृतका सरवती की वारिसान हैं और उसके तर्क पर काबिज व दखिल हैं कि जिन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि आवेदक ने अपने नाम का शुद्धीकरण कराने बावत श्रीमान् तहसीलदार साहब श्रीमहावीरजी से दिनांक 25.07.2024 को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निवेदन किया, जिस पर श्रीमान् तहसीलदार साहब श्रीमहावीरजी ने आवेदक को आदेशित किया कि यह उसके क्षेत्राधिकार के बाहर का मामला है, न्यायालय श्रीमान उपजिला कलेक्टर हिण्डौन से आदेश कराकर दिये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्धीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रतिपक्षी नं. 2 लगायत 11 भूमि के सहखातेदार हैं कि जिन्हें विधि अनुसार पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जबकि उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि स्व. झमोली पुत्र अमरसिंह के हंसराज नाम का कोई लड़का नहीं था और ना ही है। झमोली की मृत्यु के पश्चात राजस्व रिकार्ड में वारिसान के नाम खातेदारी का इन्द्राज दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों की भूल/त्रुटि से हंसराम के स्थान पर हंसराज गलत दर्ज कर दिया गया है कि जिसके कायम रहने से आवेदक के हक हकूक प्रभावित हुए है, गलत अंकन काबिल दुरूस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि आवेदनपत्र हाजा, श्रीमान् न्यायालय के काबिल समाअत है एवं निश्चित न्यायशुल्क पर अवधि में प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खाता संख्या नया 407 पुराना 401 आराजीयात खसरा नं. 717 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 718 रकबा 0.14 हैक्टेयर, कुल किता–2 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली व भूमि खाता संख्या नया 417 पुराना 280 आराजी खसरा नं. 757/2273 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन चाह ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली एवं भूमि खाता संख्या नया 418 पुराना 281 आराजीयात खसरा नं. 1005 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1018 रकबा 0.36 हैक्टेयर, 660 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 661 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 665 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 719 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 720 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 721रकबा 0.14 हेक्टेयर, 746 रकबा 0.56 हेक्टेयर, 757 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.31 हैक्टेयर 782 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 852 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 853 रकबा 0.38 हैक्टेयर 858 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 859 रकबा 0.38 हैक्टेयर, कुल किता–18 कुल रकबा 4.97 हैक्टेयर ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली के राजस्व रिकार्ड में आवेदक के नाम में हंसराज पुत्र झमोली के स्थान पर हंसराम पुत्र झमोली संशोधन कर रेवन्यू रिकार्ड/जमाबंदी में संशोधित करने के श्रीमान् तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश प्रदान करें, एवं अन्य अनुतोष जो न्यायोचित हो, वह भी आवेदक को प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 04.08.2025 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 किता 3, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 1080 दिनांक 11.01.2021 ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 664309992714 हंसराम पुत्र झमोली निवासी अलीपुरा तहसील हिण्डौन, जन आधार कार्ड सं0 4865431674 बबीता देवी पत्नि हंसराम ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति राशन यूआईडी क्रमांक 664309992714 हंसराम गुर्जर पुत्र झमोलीराम ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंम्बर 1005 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1018 रकबा 0.36 हैक्टेयर, 660 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 661 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 665 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 719 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 720 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 721 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 746 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 757 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 782 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 852 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 853 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 858 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 859 रकबा 0.38 हैक्टेयर, कुल किता–18 कुल रकबा 4.97 हैक्टेयर वाके ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली में प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र झमोली हि01/36 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंम्बर 717 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 718 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली में प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र झमोली हि01/36 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंम्बर 757/2273 रकबा 0.01 हैक्टेयर वाके ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली में प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र झमोली हि01/36 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 1080 दिनांक 11.01.2021 ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन के अवलोकन से झमोली पुत्र अमरसिंह के फौत होने पर उसकी विरासत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

का नामान्तकरण में भी हंसराज पुत्र झमोली हि0 1/36 जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 664309992714 हंसराम पुत्र झमोली निवासी अलीपुरा तहसील हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

जन आधार कार्ड सं0 4865431674 बबीता देवी पत्नि हंसराम ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति राशन यूआईडी क्रमांक 664309992714 हंसराम गुर्जर पुत्र झमोलीराम ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम हंसराम पुत्र झमोली है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र झमोली दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंम्बर 1005 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1018 रकबा 0.36 हैक्टेयर, 660 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 661 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 665 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 719 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 720 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 721 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 746 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 757 रकबा 0.34 हैक्टेयर, 777 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 782 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 783 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 784 रकबा 0.62 हैक्टेयर, 852 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 853 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 858 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 859 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 717 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 718 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 757/2273 रकबा 0.01 हैक्टेयर वाके ग्राम अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली में प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र झमोली हि01/36 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के स्थान पर हंसराम पुत्र झमोली हि01/36 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली